

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/अप्रमुवसंउ/निस्तार/6113

भोपाल, दिनांक 5-11-99

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक  
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त वन मंडलाधिकारी  
क्षेत्रीय/उत्पादन  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- निस्तार डिपो में 30 जून की स्थिति में अवशेष मात्रा ।

संदर्भ:- कार्यालीन पत्र क्रमांक/5097 दिनांक 31-7-98

-----0-----

उक्त पत्र द्वारा यह निर्देशित कि गया था कि निस्तार डिपो में 30 जून की स्थिति में जो भी मात्रा आवशेष रहती है इसका वहाँ पर स्थानीय नीलाम करते हुये निर्वर्तन कर दिया जाए । कुछ वनमंडलाधिकारियों द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि कहीं अधिक आंतरिक भागों में स्थित छोटे निस्तार डिपो में विक्रय की संभवना नगण्य है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि यदि वनमंडलाधिकारी यह अनुभव करते हैं कि किसी विशिष्ट निस्तार डिपो में आवशेष मात्रा का नीलाम द्वारा निर्वर्तन संभव नहीं है उस स्थिति में विशेष प्रकरण के रूप में उस निस्तार डिपो की आवशेष मात्रा केन्द्रीय डिपो भेजी जा सकेगी जहाँ इसका नीलाम द्वारा निर्वर्तन किया जाएगा । शेष सभी निस्तार डिपो में स्थानीय नीलाम कर अवशेष वनोपजों का निर्वर्तन किया जाएगा । यह बात ध्यान में रखी जाए कि केन्द्रीय डिपो में भेजी जाने वाली अवशेष मात्रा निश्चित रूप से 30 अक्टूबर तक डिपो में पहुंच जाए ।

हस्ता.

(अशोक मसीह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)  
म0प्र0 भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/अप्रमुवसंउ/निस्तार/6114

भोपाल, दिनांक 5-11-99

प्रतिलिपि:-

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल को सूचर्नाथ अग्रेषित ।

हस्ता.

(अशोक मसीह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)  
म0प्र0 भोपाल